

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांक स्था./2/से.नि./6/2017/ 40023-160

दिनांक 10-1-18

आदेश

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.1(6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप विभाग के निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पद नाम	जाति श्रेणी	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति तिथि	पदस्थान स्थान
1	राजेश दीक्षित	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सामान्य	15.09.1958	30.09.2018	महानिदेशालय कारागार जयपुर
2	केदारमल शर्मा	उप कारापाल	सामान्य	05.04.1958	30.04.2018	जि.का.भीलवाड़ा
3	अमीर सिंह	उप कारापाल	ओबीसी	30.04.1958	30.04.2018	के.का.भरतपुर
4	प्रहलाद सिंह	उप कारापाल	ओबीसी	10.04.1958	30.04.2018	के.का.जयपुर
5	औंकारलाल	उप कारापाल	ओबीसी	04.05.1958	31.05.2018	जि.का.राजसमन्द
6	केशर देव	उप कारापाल	एस.सी.	10.07.1958	31.07.2018	के.का.जयपुर
7	बद्री प्रसाद	उप कारापाल	एस.सी.	15.07.1958	31.07.2018	जि.का.झुन्झुन
8	गजराज सिंह	उप कारापाल	सामान्य	08.07.1958	31.07.2018	उ.का.गंगापुर
9	गंगाप्रसाद शर्मा	उप कारापाल	सामान्य	15.07.1958	31.07.2018	उ.का.छबड़ा
10	राधेश्याम	उप कारापाल	सामान्य	04.08.1958	31.08.2018	जि.का.दौसा
11	नन्द किशोर स्वामी	उप कारापाल	ओबीसी	17.09.1958	30.09.2018	जि.का.सवाईमाधोपुर
12	बृजनाथ सिंह	उप कारापाल	सामान्य	15.11.1958	30.11.2018	उ.का.बयाना
13	हाकिम सिंह	उप कारापाल	सामान्य	17.12.1958	31.12.2018	के.का.अलवर
14	राजेन्द्र सिंह चौधरी	उप कारापाल	सामान्य	23.01.1959	31.01.2019	के.का.अजमेर
15	राजू राम	प्रहरी नं. 206	एस.सी.	15.07.1958	31.07.2018	महानिदेशालय कारागार जयपुर
16	नन्द सिंह शेखावत	प्रहरी नं. 2234	सामान्य	15.02.1959	28.02.2019	महानिदेशालय कारागार जयपुर

उक्त कर्मचारियों की जन्मतिथि व अन्य विवरण का सेवापुस्तिका से मिलान कर लिया जावे, किसी प्रकार के विरोधाभाष की स्थिति में तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करें। कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र यथा समय मुख्यालय से प्राप्त करें, जिसमें आपके यहां भी "जांच विचाराधीन है या नहीं का भी उल्लेख करें।

उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर राजकीय आवासगृह रिक्त कर दिया जावे यह सुनिश्चित किया जावे।

(भूपेन्द्र सिंह)
अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा भिजवाई गई सूचनाओं के आधार पर सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं एवं यह मान लिया गया है कि वर्ष 2018-19 में आपके अधीन कारागृहों पर पदस्थापित किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जाने से शेष नहीं है, यदि आपके द्वारा सेवानिवृत्ति हेतु कर्मचारियों के नाम नहीं भिजवाये गये हैं तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी और आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी से सूचित रहे। कर्मचारियों का कोई परिलाभ बकाया नहीं सुनिश्चित किया जावे व रिकार्ड पूर्ण कर जिन कार्मिकों की जन्म तिथि प्रमाणित नहीं है प्रमाणित कर कार्मिकों का पेंशन प्रकरण पूर्ण तैयार कर यथासमय पेंशन विभाग को भिजवाये। चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आदेश संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किये जाकर इस कार्यालय को सूचित किया जावे :-

1. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार रज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, भरतपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
6. निजी सचिव, अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. अति. निजी सचिव, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
9. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
10. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर।
11. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
12. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
13. समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान।
14. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण।
15. कार्यालय अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
16. प्रभारी, स्थापना तृतीय/चतुर्थ/ए.सी.आर/कर्मचारी कल्याण न्यास एवं हितकारी निधि/विभागीय जांच/विधि/सामान्य/भण्डार/भवन शाखा महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
17. प्रभारी कम्प्यूटर लैब, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को वास्ते अपलोड हेतु।
18. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रभारी जेल।
19. निजी/रक्षक पत्रावली।

अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर